

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

संचिका सं०-०९/विविध पत्राचार-०४-२२/२०१७

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—
विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,

उप निदेशक, परीक्षण / प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना ।

मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना ।

सम्पर्क पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार भवन, नई दिल्ली ।

सचिव, बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण, पटना ।

अवर सचिव (लेखा/मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:- बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा करने के संबंध में ।

प्रसंग:- वित्त विभागीय पत्र सं०-७८२/वि०, दिनांक-०१.०२.२०१८, वित्त विभागीय अर्द्ध सरकारी पत्र सं०-९६४५/वि०, दिनांक-१२.१२.२०१७, विभागीय पत्रांक-११२३५ (एस०) दिनांक-०७.१२.२०१७, विभागीय पत्रांक-१२०१२ (एस०) दिनांक-२२.१२.२०१७, वित्त विभागीय पत्रांक-११४४/वि०, दिनांक- २०.११.२०१७ एवं मुख्य सचिव, बिहार का पत्र सं०-८९७८, दिनांक-१७.११.२०१७

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक- १२०१२ (एस०) दिनांक-२२.१२.२०१७ एवं पत्रांक- ११२३५ (एस०) दिनांक-०७.१२.२०१७ द्वारा वित्त विभागीय पत्र सं०-११४४ /वि०, दिनांक-२०.११.२०१७ तथा मुख्य सचिव, बिहार का पत्र सं०-८९७८, दिनांक-१७.११.२०१७ के संदर्भ में निदेश दिया गया है कि जिन बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि जिसका व्यय दिनांक-३१.०३.२०१८ तक संभावित नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक-३१.१२.२०१७ तक जमा कराना सुनिश्चित किया जाए। पुनः वित्त विभागीय पत्र सं०-७८२/वि०, दिनांक- ०१.०२.२०१८ द्वारा समेकित निधि में राशि जमा कराने की निर्धारित अन्तिम तिथि ३१.०१.२०१८ को विस्तारित करते हुए ०७.०२.२०१८ तक किया गया है ।

अतः पुनः स्मारित किया जाता है कि बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि, जिसका व्यय दिनांक-३१.०३.२०१८ तक संभव नहीं है, को अचूक रूप से राज्य की समेकित निधि में जमा कराते हुये तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(लक्ष्मी नारायण दास)

31/8-21/18/18

ज्ञापांक-09/विविध पत्राचार-04-22/2017

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अपर सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक-09/विविध पत्राचार-04-22/2017

996 (E)

पटना, दिनांक- 12/2/18

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) /विभागीय आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Laxmi N. Das
12/2/18

(लक्ष्मी नारायण दास)

11/11/18